



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 कार्तिक, 1943 (श०)

संख्या- 540 राँची, मंगलवार,

26 अक्टूबर, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

अधिसूचना

8 अक्टूबर, 2021

संख्या--02/भू.अ.प.नि., भ.स.यो.(SVAMITVA)-26/2020-533(2)--नि.रा.,भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम Survey of Village and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (SVAMITVA) प्रारम्भ की गयी है, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार राज्य पंचायती राज विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं Survey of India के सहयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र के जमीन का सीमांकन नवीनतम ड्रोन सर्वे पद्धति से किया जायेगा तथा उनका ROR (Records of Right) तैयार किया जायेगा। मंत्री परिषद की बैठक दिनांक-22.06.2021, मद संख्या-06 में लिये गये निर्णय के आलोक में भारत सरकार की उक्त योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से झारखण्ड राज्य में लागू करने की स्वीकृति प्राप्त है। झारखण्ड राज्य में SVAMITVA योजना लागू करने हेतु Standard Operating Procedure (SOP) निम्नवत् है:-

झारखण्ड राज्य में SVAMITVA Scheme के Pilot Phase के क्रियान्वयन हेतु खूँटी जिला का चयन किया गया है। Pilot Phase का क्रियान्वयन खूँटी जिला के समस्त आबादी वाले राजस्व ग्रामों में किया जायेगा।

मुख्यतः SVAMITVA योजना दो भागों में विभाजित है:

भाग:-1

Continuously Operating Reference System (CORS) network station का अधिष्ठापन:

1. Survey of India (SOI) द्वारा समस्त राज्य में 28 स्थानों का चयन किया गया है। इन सभी चिन्हित स्थलों पर CORS network Station का अधिष्ठापन SOI द्वारा किया जाएगा ।
2. राजस्व, निबंध एवं भूमि सुधार विभाग तथा Survey of India के बीच किए गए MoU की कंडिका 2.1 के अनुसार CORS अधिष्ठापन एवं इसके रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी Survey of India की होगी ।
3. CORS network station अधिष्ठापन हेतु सुरक्षित स्थान तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित जिला प्रशासन की होगी। जिला प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेंगे की चयनित स्थान Shadow zone में स्थित न हों ।
4. CORS network station की सहायता से जनित डाटा का इस्तेमाल करते हुए समस्त राज्य के Geoid Model की संरचना एवं Generation of Maps इत्यादि की जिम्मेदारी SOI की होगी ।

भाग:-2

ड्रोन की सहायता से ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेखों का अद्यतन किया जाना:

1. SVAMITVA योजना का दूसरा भाग सर्वप्रथम खूँटी जिला के सभी आबादी वाले राजस्व ग्रामों में Pilot के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। Pilot Phase की सफलता के पश्चात् इसे राज्य के अन्य जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा ।
2. उपायुक्त, खूँटी द्वारा निदेशक, SOI के साथ समन्वय स्थापित करते हुए खूँटी जिला के सभी आबादी वाले राजस्व ग्रामों में Drone Operation हेतु Time Schedule तैयार किया जायेगा ।
3. Drone flying के time schedule निर्धारण के पश्चात् चरणबद्ध सभी राजस्व ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन कर आम ग्रामीणों को इस योजना की विशेषताओं से अवगत कराया जायेगा। ग्राम सभा के माध्यम से योजना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर उत्पन्न आम ग्रामीणों की शंकाओं का भी समाधान किया जायेगा ।
4. योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ग्राम सभा के अतिरिक्त प्रचार प्रसार के अन्य माध्यम जैसे Public Announcements, Pamphlets आदि का भी प्रयोग किया जा सकेगा ।
5. Drone Operation के प्रारंभ होने से पूर्व उपायुक्त, खूँटी आम सूचना निर्गत करते हुए संबंधित राजस्व ग्रामों के सभी रैयतों को सूचित करेंगे ।
6. SVAMITVA योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु Jharkhand Space Application Centre (JSAC) तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेगा ।
7. SVAMITVA योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण उपायुक्त, खूँटी की अध्यक्षता में गठित जिला अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे:-
 - i) पुलिस अधीक्षक, खूँटी ।
 - ii) अपर समाहर्ता, खूँटी ।
 - iii) अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी ।
 - iv) जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, खूँटी ।

- v) जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी ।
- vi) सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, राँची (प्रभारी खूँटी) ।
- vii) जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खूँटी ।
- viii) संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी ।
- ix) उपायुक्त द्वारा नामित अन्य सदस्य ।
- 8. प्रत्येक राजस्व ग्राम (जहाँ योजना संचालित होगी) के लिए सर्वे दल का गठन निम्न प्रकार से होगा:
 - 1. राजस्व उपनिरीक्षक
 - 2. पंचायत सचिव
 - 3. संबंधित बंदोबस्त कार्यालय के अमीन
 - 4. अंचल अमीन
 - 5. आवश्यकतानुसार उपायुक्त द्वारा नामित अन्य सदस्य
- 9. सर्वे किये जाने वाले क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक, खूँटी की होगी एवं आवश्यकतानुसार उनके द्वारा पुलिस बल को भी तैनात की जायेगी ।
- 10. योजना के तकनीकी पहलुओं पर आवश्यकता अनुसार Survey of India द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
- 11. Large Scale Drone Mapping हेतु Drone Operation के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा:-
 - i) सर्वप्रथम सर्वे दल द्वारा सर्वे हेतु आबादी वाले क्षेत्र की सीमांकन किया जायेगा ।
 - ii) तत्पश्चात इस क्षेत्र में पड़ने वाली सरकारी सम्पत्ति यथा-सरकारी भूमि, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, अन्य सरकारी संरचना इत्यादि की गणना एवं चिन्हितकरण किया जायेगा ।
 - iii) सरजमीन पर 'चूना मार्किंग' सर्वे दल द्वारा SOI से प्रतिनियुक्त टीम की देख-रेख में किया जायेगा ।
 - iv) 'चूना मार्किंग' के पश्चात् SOI की टीम द्वारा Drone Flying का कार्य किया जायेगा ।
 - v) Large Scale Drone Mapping के उपरांत प्राप्त प्रथम चरण के नक्शों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सुधारों के उपरांत संबंधित अंचल कार्यालय तथा बंदोबस्त कार्यालय राँची को उपलब्ध करा दिए जायेंगे ।
 - vi) इस प्रकार प्राप्त प्रथम चरण के नक्शों को सर्वे दल द्वारा सरजमीन पर विस्तृत रूप से सत्यापित किया जायेगा। सत्यापन के दौरान Land Parcel Map का भी जमीनी वस्तुस्थिति के साथ मिलान किया जायेगा। जमीनी हकीकत तथा प्रथम चरण के नक्शों में पाये गये अंतर को दर्ज कर SOI टीम को अवगत कराया जायेगा। मिलान के पश्चात् नक्शों में आवश्यकतानुसार चौहद्दी/प्लॉट में सुधार हेतु पुनः SOI को उपलब्ध कराया जायेगा ।
 - vii) जमीनी सच्चाई के आधार पर सर्वे टीम एवं बंदोबस्त कार्यालय, राँची के पदाधिकारी द्वारा प्रथम चरण के लैंड पार्सल नक्शों पर किये गये आवश्यक सुधार के आलोक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) द्वारा सुधार किया जायेगा ।
 - viii) Feature Extraction तथा Attribute Linking आदि का कार्य SOI द्वारा किया जायेगा ।

ix) प्रथम चरण के नक्शों में आवश्यकतानुसार सुधार के पश्चात् SOI द्वारा बंदोबस्त कार्यालय राँची को उपलब्ध कराया जायेगा। बंदोबस्त कार्यालय, राँची इन नक्शों को पारंपरिक सर्वे पद्धति के साथ एकीकृत करते हुए अधिकार अभिलेख के निर्माण तथा प्रकाशन हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। बंदोबस्त कार्यालय, राँची उक्त नक्शों से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई Technical Rule of Survey 1656 एवं Digital India Land Record Modernization Programme के अनुरूप करेंगे ।

12. Large Scale Drone Mapping के पश्चात् योजना के अतिमहत्वपूर्ण बिंदुओं भू-अभिलेखों का अद्यतीकरण तथा (ii) Property Card के वितरण का क्रियान्वयन किया जायेगा। इन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगा:-

- i) भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण तथा Property Cards के वितरण हेतु संबंधित अंचल कार्यालय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी।
 - ii) प्रथम/दूसरे चरण के बाद उपलब्ध नक्शों के आधार पर संबंधित अंचलाधिकारी मौजूदा Tenants Ledger Register (Reister-II) के साथ मिलान के पश्चात् तुलनात्मक विवरणी तैयार कर लेंगे।
 - iii) संभव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रैयतों द्वारा नामांतरण की कार्रवाई नहीं कराई गई हो। ऐसे सभी मामलों में अंचलाधिकारी उत्तराधिकार/हस्तांतरण/बंटवारा के आधार पर नामांतरण सुनिश्चित करेंगे। नामांतरण की प्रक्रिया के लिए, Bihar Tenants' Holding (Maintenance of Records) Act, 1973 का प्रयोग किया जायेगा ।
 - iv) अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Large Scale Drone Mapping के बाद प्रथम चरण के नक्शों की प्राप्ति से 90 कार्य दिवस के अंदर सभी राजस्व ग्रामों Tenants Ledger Register वास्तविक जमीनी हकीकत के अनुसार अद्यतन हो जाएं ।
 - v) वैसे मामलों को जहाँ भूमि संबंधी विवाद हैं/नामांतरण करने योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, संबंधित अंचलाधिकारी अलग से सूचीबद्ध कर लेंगे। ऐसे मामलों में नामांतरण, विवाद के निपटारे के पश्चात् किए जायेगे ।
 - vi) वैसे मामले जिनमें सफलतापूर्वक नामांतरण की कार्रवाई कर ली गयी है, अंचलाधिकारी सात (7) कार्य दिवसों के भीतर Bihar Tenants' Holding (Maintenance of Records) Act, 1976 की नियम सं०-37 के अनुरूप अभिधारी खाता पुस्तिका का वितरण सुनिश्चित करेंगे ।
- प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कर्ण सत्यार्थी,
निदेशक,
